तत्काल / समय–सीमा

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
ई मेल– rajyayojna@gmail.com

क्रमांक / योजना / नि.शु.साय / स / 01 / 2017–18 / 154 भोपाल, दिनांक 29/06/2018

प्रति,

1. समस्त
संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
2. समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र

विषय :– वर्ष 2017–18 में कक्षा 6वी एवं 9वीं हेतु निःशुल्क सायकिल वितरण योजनान्तर्गत सायकिलो के अन्तिम सत्यापन (वेरिफिकेशन) के संबंध में।

संदर्भ:–
1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र. 158 / 211 / 2016 / 20–2 भोपाल, दिनांक 010.020.2018।
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक / रा.यो / निःशु.साय / स / 01 / 2017–18 / 34, दि.12.02.2018।
3. दिनांक 14.05.2018, 28.05.2018 एवं 04.06.2018 की विडियो कांफ्रेसिंग में दिये गये निर्देश।
4. संचालनालय का पत्र क्रमांक / रा.यो / निःशु.साय / स / 01 / 2017–18 / 152, दिनांक 20.06.2018।

विषयान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कक्षा 6वी एवं 9वी के विद्यार्थियों हेतु प्रदाय की जाने वाली सायकिलो के वेरिफिकेशन के संबंध में समय–समय पर शासन / संचालनालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो।

2. सायकिल वेरिफिकेशन के संबंध में समय–समय पर विडियो कांफ्रेसिंग, ईमेल एवं प्रतिदिन **Whatsapp** (स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप) के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार शत प्रतिशत छात्रों का वेरिफिकेशन (पात्र / अपात्र) एवं चेसिस की एन्ट्री समय–सीमा में की जानी थी, किन्तु अनेक जिलों द्वारा आज दिनांक तक भी सत्यापन कार्य पूर्ण नही किया गया है।

3. वर्ष 2018–19 में सायकिल वितरण हेतु हितग्राही विद्यार्थियों का चिन्हांकन एवं विद्यालयों की मैपिंग का कार्य समग्र शिक्षा पोर्टल पर प्रारंभ किया जाना है। अतः वर्ष 2017–18 का सायकिल वितरण का कार्य दिनांक 25 / 06 / 18 तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के आदेश जारी किये गये थे, किन्तु कुछ जिलों द्वारा सत्यापन कार्य पूर्ण ना करने से समग्र शिक्षा पोर्टल पर वर्ष 2017–18 के सत्यापन का शत–प्रतिशत कार्य पूर्ण करने की अंतिम समय–सीमा पुनः दिनांक **30.06.2018** निर्धारित की गई है। दिनांक **30.06.2018** को कार्यालय समय 5.30 बजे के उपरांत वेरिफिकेशन संबंधी कार्यवाही समग्र शिक्षा पोर्टल पर बंद कर दी जावेगी। यदि कोई पात्र विद्यार्थी वेरिफिकेशन नही होने के कारण सायकिल योजना से वंचित होता है, तो संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी / संभागीय संयुक्त संचालक का होगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि सायकिलो के वेरिफिकेशन एवं चेसिस ऐन्ट्री का कार्य दिनांक 30.06.18 तक अनिवार्यतः पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्रमांक / रा.यो. / निःशु.साय. / स / 01 / 2017–18 / 155 भोपाल, दिनांक 29/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्भव भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र.।

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.